भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. †*57
दिनांक 23.07.2025 को उत्तर देने के लिए

अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी

†*57. श्री हैबी ईडनः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में तेरह अपतटीय खनन ब्लॉकों की पहचान करने और उनके लिए निविदा आमंत्रित करने से पूर्व कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) किए गए थे, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) क्या सरकार ने तीन अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी हेतु निविदाएं आमंत्रित करने से पहले केरल के तटीय समुदायों से परामर्श किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार इस प्रकार का परामर्श होने तक निविदा प्रक्रिया को रद्द करने अथवा संशोधित करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) क्या सरकार को केरल के अपतटीय क्षेत्र में प्रस्तावित गहरे समुद्र में खनन गतिविधियों के संबंध में राजनीतिक दलों और मछुआरा समुदायों द्वारा सर्वसम्मति से किए गए विरोध की जानकारी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी' के संबंध में संसद सदस्य श्री हैबी ईडन द्वारा दिनांक 23 जुलाई, 2025 को लोकसभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न सं. 57 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): अपतट क्षेत्र प्रचालन अधिकार नियम, 2024 के नियम 5(2) के अनुसार, प्रचालन अधिकार प्रदान करने हेतु किसी भी अपतट क्षेत्र को अधिसूचित करने से पहले हितधारक मंत्रालयों/विभागों के साथ पूर्व परामर्श अनिवार्य है। वर्तमान मामले में, खान मंत्रालय द्वारा नीलामी के लिए ब्लॉकों को अधिसूचित करने से पहले मत्स्य पालन विभाग और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) सहित संबंधित मंत्रालयों/विभागों से परामर्श किया गया और नीलामी के लिए अधिसूचना जारी करने से पहले सभी मंत्रालयों/विभागों की अनापत्ति प्राप्त की गई।

अपतट क्षेत्र खनिज संसाधनों की विद्यमानता नियम (ओएईएमआरआर), 2024 के अनुसार संयुक्त अनुज्ञप्ति के सफल बोलीदाता को अपतट क्षेत्र में गवेषण करना आवश्यक है। गवेषण हेतु अनेक अपेक्षाओं में से एक प्रारंभिक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अध्ययन करना है। तत्पश्चात, सरकार द्वारा संयुक्त अनुज्ञप्ति धारक को उत्पादन पट्टा प्रदान करने पर विचार किया जाता है।

इसके अलावा, अपतट क्षेत्र खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2024 के प्रावधानों के अनुसार, उत्पादन योजना के अलावा कोई और उत्पादन कार्य नहीं किया जाएगा। उत्पादन योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, आधारभूत जानकारी, प्रभाव आकलन और शमन उपायों को दर्शाने वाली पर्यावरण प्रबंधन योजना भी शामिल होती है। उत्पादन योजना और पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) तैयार करते समय मछुआरों और स्थानीय समुदायों की समस्याओं का विशेष रूप से समाधान किया जाएगा।

इससे पहले, गवेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु केरल तट से लगे ब्लॉकों सहित 62 अपतट ब्लॉकों के आवंटन हेतु दिनांक 07.06.2010 को एक अधिसूचना जारी की गई थी। उस समय भी, अधिसूचना जारी करने से पहले कोई पूर्व पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) नहीं किया गया था।

(ग): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ): अपतट खनन के संबंध में उठाए गए मुद्दों को अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के तहत नियमों में किए गए प्रावधानों के माध्यम से संबोधित किया जाता है।

*****